सार्वजनिक सूचना

रियल एस्टेट आवंटनकर्ताओं को निमंत्रण जिन्होंने अभी तक अपना दावा दायर नहीं किया है अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए

मैसर्स ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स भसीन इन्फोटैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की समेकित कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में

प्रति,

"प्रोजेक्ट ग्रैंड वेनिस, ग्रेटर नोएडा" में इकाइयों के आवंटित व्यक्ति
(जिन्होंने अभी तक अपने दावे दर्ज नहीं कराए हैं)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने मैसर्स ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड ("जीवीसीटीपीएल") और मैसर्स भासिन इन्फोटैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ("बीआईआईपीएल") (सामूहिक रूप से "कॉर्पोरेट ऋणी" कहलाते हैं) के समेकित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत का आदेश दिया था, कंपनी याचिका आईबी (आईबीसी) संख्या 646/पीबी/2021 में 04.12.2023 के आदेश के माध्यम से, जिसे निलंबित निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा माननीय एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय एनसीएलएटी ने 07.12.2023 के अंतरिम आदेश द्वारा सीआईआरपी में आगे कोई कदम न उठाने का निर्देश दिया था। बाद में, अपीलों की सुनवाई के बाद, माननीय एनसीएलएटी द्वारा 29.10.2025 के आदेश से अपीलों को खारिज कर दिया गया।

उपरोक्त के अनुसरण में, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने कॉर्पोरेट ऋणियों के लेनदारों से दावे आमंत्रित करने के लिए 31.10.2025 की फॉर्म ए में एक सार्वजनिक घोषणा की और तदनुसार कॉर्पोरेट ऋणियों के विभिन्न लेनदारों से प्राप्त दावों को प्राप्त किया और संकलित किया है।

कोई भी आवंटित व्यक्ति जिसके पास "प्रोजेक्ट ग्रैंड वेनिस" में एक इकाई है या ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड और/या भासिन इन्फोटैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दावा है, जिसने अभी तक अपना दावा दर्ज नहीं कराया है, उसे अनुरोध है कि वह 12.10.2026 तक या उससे पहले, अपना दावा, सहायक दस्तावेजों के साथ, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे। प्रमाण सहित दावों की प्रस्तुति केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही की जाए, ईमेल द्वारा irp.grandvenice@gmail.com पर भेजकर। प्राप्त दावों के साथ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के साथ–साथ प्रासंगिक विनियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

नोटः जिन आवंटित व्यक्तियों ने पहले ही अपने दावे दर्ज करा दिए हैं, उन्हें अपने दावे फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट ऋणदाताओं का नाम कॉर्पोरेट पहचान संख्या के साथ	1. ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड; सीआईएनः U70102DL2009PTC196389 2. भासिन इन्फोटैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सीआईएनः U72300DL2006PTC149113
कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	1. ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड– जी–13 यूजीएफ कंचनजंगा बिल्डिंग, 18 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110001 2. भासिन इन्फोटैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड– 13ए, मोहन कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली – 110044
कॉर्पोरेट ऋणदाताओं का नाम कॉर्पोरेट पहचान संख्या के साथ	04.12.2023
नाम, पंजीकरण संख्या, अंतरिम संकल्प पेशेवर का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	**मुकेश गुप्ता** [IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254] **पताः** एफ–1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 **ईमेलः** camukeship@rediffmail.com **(इस ईमेल आईडी का उपयोग दावे जमा करने के लिए नहीं किया जाना है)**
अंतरिम संकल्प पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	**पताः** एफ–1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 **ईमेलः** irp.grandvenice@gmail.com
दावा दायर करने के लिए प्रासंगिक फॉर्म	प्रासंगिक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए वेबलिंक है https://ibbi.gov.in/home/downloads

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
मुकेश गुप्ता
समाधान प्रोफेशनल
भासिन इन्फोटैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
[IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254]

दिनांकः 27 सितंबर, 2026
स्थानः नई दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

YES BANK

पंजीकृत और कार्पोरेट कार्यालय :
यस बैंक लिमिटेड : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुम्बई –400055 भारत
वेबसाइट : www.yesbank.in ई–मेल : comminications@yesbank.in **सीआईएन :** L65190MH2003PLC143249
आंचलिक कार्यालय पता : चतुर्थ तल, मैक्स टावर, सेक्टर–16बी, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा यस बैंक लिमिटेड अर्थात प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, सुरक्षित लेनदार की **(1) मैसर्स सारंगी मेटल वर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ("कर्जदार") इसके निदेशक(कों) के माध्यम से ("कर्जदार") ; (2) श्री सुमित कुमार सारंगी पुत्र श्री शशांक शेखर सारंगी ("निदेशक और गारंटर") ; (3) श्रीमती तेजस्विनी राठ पत्नी श्री सुमित कुमार सारंगी ("निदेशक, गारंटर और बंधकदाता") ; (4) श्री शशांक शेखर सारंगी पुत्र श्री श्यामसुंदर सारंगी ("गारंटर") ; (5) श्रीमती सेबा सारंगी पत्नी श्री शशांक शेखर सारंगी ("बंधकदाता एवं गारंटर") और (6) मैसर्स न्यू मॉडर्न टेक्नो मेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों, श्री सुमित कुमार सारंगी, श्रीमती सेबा सारंगी और शशांक शेखर सारंगी के माध्यम से ("गारंटर") की तरफ 14 फरवरी 2026 तक बकाया राशि रू. 20,32,36,243.79/– (रुपये बीस करोड़ बत्तीस लाख छत्तीस हजार दो सौ तैंतालीस और पैसे उनहत्तर मात्र) उस पर संविदा दर पर आगे ब्याज तथा प्रभारों सहित की वसूली के लिए 30–10–2026 को "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" आधार पर बेची जाएगी।**

सुरक्षित मूल्य रू. 22,06,26,000/- (रूपये बाईस करोड़ छह लाख और छब्बीस हजार मात्र) तथा धरोहर राशि जमा रू. 2,20,62,600/- (रूपये दो करोड़ बीस लाख बासठ हजार छह सौ मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्रीहोल्ड अचल संपत्ति/अपार्टमेंट नंबर बी–001, भू तल, टावर–बी, जिसका सुपर एरिया परिमाप 7004 वर्ग फीट, (कारपेट एरिया 4664 वर्ग फीट) "एआरएवाईए" नामक आवासीय परिसर, जो गांव–घाटा, तहसील–वजीराबाद, जिला–गुरुग्राम–122001 की राजस्व संपदा में सेक्टर–62 में स्थित है। **सीमा : उत्तर :** सीढ़ियां, **दक्षिण :** लॉबी, **पूर्व :** खुला, **पश्चिम :** प्रवेश

ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 30–010–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के विस्तारों के साथ बिड जमा करने हेतु अंतिम तिथि : 27–10–2026 अप. 06.30 बजे तक

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय : 22–10–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.yesbank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक www.yesbank.in/about-us/media/auction-property देखें। निविदा दस्तावेज/ई–बिडिंग कैटलॉग प्राप्त करने में अथवा अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के निरीक्षण में किसी कठिनाई की स्थिति में तथा किसी पूछताछ के लिए, कृपया – यस बैंक लिमिटेड के संबंधित पदाधिकारी, श्री प्रदीप कुमार से +919810711126 अथवा ई–मेल : pradeep.kumar36@yesbank.in पर सम्पर्क करें तथा मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), अहमदाबाद, के पदाधिकारियों से, बिडर सपोर्ट नंबर्स : +91 9265562821, 079–61200594/598/568/587/538 ई–मेल आईडी : ramprasad@auctiontiger.net, chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर/ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप पर भी सम्पर्क करें।

जैसीकि अधिनियम की धारा 13(8) में व्यवस्था दी गई है, यदि हमारी बकाया राशि हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों सहित बिक्री अथवा अंतरण की नियत तिथि से पहले किसी भी समय चुका दी जाती हे तो प्रतिभूत आस्ति हमारे द्वारा बेची या अंतरित नहीं की जाएगी तथा हमारे द्वारा उस प्रतिभूत आस्ति की बिक्री या अंतरण के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

कर्जदार/गारंटरों/बंधकदाताओं को बिक्री सूचना

उपरोक्त सूचना, आबन्धकों को, बकाया राशि का भुगतान प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर करने के संबंध में, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत सूचना मानी जाएगी।

स्थान : दिल्ली एनसीआर
तिथि : 27–09–2026

हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)
यस बैंक

Chola — चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत, **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

नियम 8(1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	**ऋण खाता संख्या ML01EDL00000087386** **1.मोहम्मद दानिश(आवेदक)** मकान नंबर 3188, हापुड़ रोड, जाकिर हुसैन कालोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250002 **2. अफसाना ए (सह–आवेदक),** मकान नंबर 3188, हापुड़ रोड, जाकिर हुसैन कालोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250002 **3. ताहिरा बेगम (सह–आवेदक),** मकान नंबर 3188, हापुड़ रोड, जाकिर हुसैन कालोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250002 **4. सनराइज ट्रेडिंग कंपनी (इसके मालिक मोहम्मद दानिश के माध्यम से) (सह–आवेदक),** ए– 115, गली नंबर 1, सनराइज ट्रेडिंग कंपनी, इंदिरा विहार, दिल्ली –110094	19-05-2025	₹ 52,58,787/- 19-05-2025 तक	आवासीय सम्पत्ति संख्या 3188, क्षेत्रफल 150.50 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 74, प्लॉट नंबर 35, ग्राम बुधरा जाहिदपुर, परगना एवं तहसील और जिला मेरठ, जाकिर हुसैन कालोनी, मेरठ में स्थित, चौहद्दी निम्नानुसार – पूर्व : पटवारी यामीन का मकान, पश्चिम : 16 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : नसीम अहमद का मकान, दक्षिण– श्रीमती हमीदन का मकान	24–09–2026 सांकेतिक
2.	**ऋण खाता संख्या ML01ZIA00000098621** **1. समीर (आवेदक),** 1768, 1770 और 1771 प्रीत विहार, मुराद नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201206 **2. समीर (आवेदक),** 'सी/ओ समीर डिजाइनर', बृज विहार कॉलोनी, मुरादनगर, वार्ड 19, बंबा के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201206 **3. दीन मोहम्मद (सह–आवेदक),** 1768, 1770 और 1771 प्रीत विहार, मुराद नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201206 **4. मीना फतेह मोहम्मद (सह–आवेदक),** 1768, 1770 और 1771 प्रीत विहार, मुराद नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201206	09–06–2026	₹ 25,22,382/- 09-06-2026 तक	प्लॉट एरिया 83.10 वर्ग गज यानी 69.48 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1768, 1770 और 1771 का हिस्सा वाका ग्राम सरना मुरादनगर, मारूफ मोहल्ला, प्रीत विहार कालोनी, वार्ड नंबर 5, परगना जलालाबाद, तहसील – मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201206, निम्नानुसार सीमाबद्ध : पूर्व– रोड, पश्चिम – प्लॉट का हिस्सा, उत्तर – अन्य का प्लॉट, दक्षिण –रोड	24–09–2026 सांकेतिक

तिथि : 24–09–2026
स्थान : गाजियाबाद, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

Chola — चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Enter a better life

रजिस्टर्ड ऑफिसः "चोला क्रेस्ट" तीसरी मंजिल, सी 54 और सी 55, सुपर बी–4, तिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600 032

[नियम 4(1)] सांकेतिक कब्जा सूचना (चल संपत्ति / परिसंपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी, **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी है तथा **वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002** के अंतर्गत एवं उक्त अधिनियम की **धारा 13 की उप–धारा (12)** के साथ **प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक **20.04.2026** को मांग सूचना जारी की गई थी। उक्त मांग सूचना ऋण खाता संख्या **EF01JPR0000068525** के संबंध में उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं: 1. **मैसर्स एस.एस. इंजीनियरिंग वर्क्स 2. श्री मदन कुमार मंडल 3. श्री सूरज कुमार 4. श्रीमती उषा देवी** को जारी की गई थी, जिसमें उन्हें मांग सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 29,23,131/– (रुपये उनतीस लाख तेईस हजार एक सौ इकतीस मात्र) दिनांक 20.04.2026 तक,** तथा उसके बाद लगने वाले अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित, उक्त सूचना प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण, इसके द्वारा उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने **अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4)** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा **प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 4** के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, नीचे वर्णित संपत्ति का **दिनांक 22 सितंबर 2026 को सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की **धारा 13 की उप–धारा (8)** के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्ति को **छुड़ाने/विमोचन करने के लिए उपलब्ध समय** से संबंधित है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं तथा आम जनता को विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि वे उक्त **चल संपत्ति/परिसंपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें।** चल संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में भार/प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि **रु. 29,23,131/– (रुपये उनतीस लाख तेईस हजार एक सौ इकतीस मात्र), दिनांक 20.04.2026 तक,** तथा उसके बाद लगने वाले अतिरिक्त ब्याज एवं शुल्क तथा उस पर ब्याज सहित है।

चल संपत्ति का विवरण

सीएनसी लेथ मशीन लीनियर 1530

दिनांकः 22.09.2026
स्थानः राजस्थान

अधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई- 600015 तमिलनाडु, भारत,
शाखा कार्यालय : ऑफिस नंबर 311 और 312, आईटीएल नॉर्थेक्स टॉवर, ए-9 बिल्डिंग, एनएसपी , पीतमपुरा-110034

संपर्क विवरणः जेडआरएमः श्री पवन कुमार पांडे- 8010562716, आरएलएमः श्री प्रमोद चंद - 9990338759
आरआरएमः श्री रविशंकर - 9999735552 आरआरएमः श्री शशि मिश्रा - 9718025302,
ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

नियम 8(8) और 9(1) के परंतुक के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

अधोहस्ताक्षरी, एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित गिरवी संपत्ति निजी समझौते/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से एचएचएफएल द्वारा स्वीकार्य शर्तों पर, ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है, जो है'' और ''जो कुछ भी उपलब्ध है'' के आधार पर, अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध है।

मानक नियम एवं शर्तें : 1. बिक्री पूरी तरह से ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है, जो है'' और ''जो कुछ भी उपलब्ध है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी। 2. क्रेता को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। स्वीकृति मिलने पर यह राशि आवश्यक 25: जमा राशि में समायोजित कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, क्रेता को अगले कार्य दिवस तक विक्रय मूल्य का 25% (प्रारंभिक 10: सहित) जमा करना होगा। 4. विक्रय मूल्य का शेष 75% बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान न करने पर, प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के पुनः बेचा जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो प्रारंभिक 10: जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 7. रु.50,00,000 से अधिक की बोलियों के लिए, सफल क्रेता को आयकर अधिनियम की धारा 194–आइए के तहत 1: टीडीएस जमा करना होगा। 8. संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जाती है, चाहे वे एचएचएफएल को ज्ञात हों या अज्ञात। एचएचएफएल किसी भी तृतीय पक्ष के दावों, अधिकारों या वैधानिक देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 9. क्रेता को संपत्ति के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से उचित जांच–पड़ताल करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 10. एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 11. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' से ही होगी। 12. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या के लिए सुरक्षित ऋणदाता/सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा। 13. ई–नीलामी के बारे में किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68,तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 में स्थित है (संपर्क व्यक्ति श्री मिथलेश, मोबाइल नंबर 7080804466 ईमेलः Mithalesh.kumar@c1india.com ईमेलः tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com और सहायता (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर+91–7291981124/25/26, सहायता ईमेल–Support@bankeauction.com) से संपर्क कर सकते हैं। 14. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को https://www.bankeauctions.com पर समय से पहले अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होते ही उसे तुरंत बदल दें। 15. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को वापसीयोग्य बयाना राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10: (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करना होगा। यह राशि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा ''हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी। 16. इच्छुक पक्ष विवरण के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और 12.10.2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले प्रस्ताव, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। 17. सफल नीलामी क्रेता को गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्चों का वहन करना होगा। 18. नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत उधारकर्ताओं/गिरवीदारों का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। 19. बिक्री सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

अनुसूची

सम्पत्ति(सुरक्षित एसेट) का विवरणः

1. प्लॉट नंबर ए–62 पर बना हुआ पहली मंज़िल का सामने का फ़्लैट (बिना छत के अधिकार के), जिसका एरिया 50 वर्ग गज (यानी 41.8 वर्ग मीटर) है। यह खसरा नंबर 29/1 और 20/10 में से है और रज़ापुर खुर्द गाँव के इलाके में, उत्तम नगर में ब्लॉक–आर –III की मोहन गार्डन कॉलोनी नई दिल्ली 110059 में स्थित है। सीमाएँः पूर्व–25 फ़ीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–पीछे का फ़्लैट/10 फ़ीट चौड़ी गली, उत्तर – दूसरी सम्पत्ति, दक्षिण–दूसरी सम्पत्ति।
बकाया राशिः 22–02–2025 तक 20,28,872 रुपये (बीस लाख अट्ठाईस हज़ार आठ सौ बहत्तर रुपये)।
आरक्षित मूल्य : 10,50,000 रुपये (दस लाख पचास हज़ार रुपये)।
ईएमडीः 1,05,000 रुपये (एक लाख पाँच हज़ार रुपये)।
ऋण संः (ऋण संः DL/DEL/DLHI/A000003133)
उधारकर्ता के नामः 1. श्री असीम कुमार नाथ, 2. श्रीमती रानू देवी।
ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीखः 12–10–2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तारीख/समयः 13–10–2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशिः रु.10,000/–

2. प्लॉट नंबर 41/1 और 41/2 (पुराने प्लॉट नंबर 41 का हिस्सा) पर बनी सम्पत्ति की ऊपरी भूतल के पिछले हिस्से का फ़्लैट (बिना छत/टेरेस के अधिकार के), जिसका एरिया कुल 150 वर्ग गज में से 50 वर्ग गज है, खसरा नंबर 20/12 में से कुछ हिस्सा, जो गांव मटियाला इलाके में और जैन कॉलोनी, टी –एक्सटेंशन, पार्ट–प, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित है। सीमाएँः पूर्व – दूसरी सम्पत्ति, पश्चिम – दूसरी सम्पत्ति, उत्तर–पीछे का फ्लैट/10 फीट चौड़ी गली, दक्षिण – 20 फीट चौड़ी सड़क।
बकाया राशिः 24–02–2024 तक 23,29,169 रुपये (तेईस लाख उनतीस हजार एक सौ उनसठ रुपये)।
आरक्षित मूल्य 14,00,000 रुपये (चौदह लाख रुपये)।
ईएमडीः 1,40,000 रुपये (एक लाख चालीस हजार रुपये)।
ऋण संः (ऋण संः DL/NGL/MEBH/A000000746)
उधारकर्ता के नामः 1. श्री नवीन कुमार, 2. श्रीमती मंजू राजपूत।
ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीखः 12–10–2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तारीख/समयः 13–10–2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशिः रु.10,000/–

3. सम्पत्ति नंबर 2, 3 और 4 की कुल 46.1/2 वर्ग गज क्षेत्रफल में से 40 वर्ग गज क्षेत्रफल में बनी पहली मंज़िल (बिना छत/टेरेस के अधिकार के) खसरा नंबर 7/21 से, जो रज़ापुर खुर्द गाँव और रक्षा एन्क्लेव कॉलोनी के इलाके में, पार्ट–III, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 स्थित है। सीमाएँः पूर्व–15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम – दूसरे का प्लॉट, उत्तर–दूसरे का प्लॉट, दक्षिण – दूसरे का प्लॉट।
बकाया राशिः 22–02–2025 तक 15,14,797 रुपये (पंद्रह लाख चौदह हज़ार सात सौ सत्तानवे रुपये)।
आरक्षित मूल्य 7,00,000 रुपये (सात लाख रुपये)।
ईएमडीः 70,000 रुपये (सत्तर हज़ार रुपये)।
ऋण संः (ऋण संः DL/DEL/DWND/A000000831)
उधारकर्ता के नामः 1. श्री राजन राय, 2. श्रीमती कुसुम रानी, घ्3. श्री शंभू राय।
ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीखः 12–10–2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तारीख/समयः 13–10–2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशिः रु.10,000/–

4. बनी हुई सम्पत्ति नंबर बी–48, तीसरी मंज़िल (सामने का हिस्सा), छत/टेरेस के अधिकारों के साथ, 50 वर्ग गज का एरिया (कुल 100 वर्ग गज एरिया में से), खसरा नंबर17/21 से, जो मटियाला गाँव,मटियाला एक्सटेंशन कॉलोनी के इलाके में, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 स्थित है।
बकाया राशिः 26–09–2024 तक रु.11,58,842/– (ग्यारह लाख अट्ठावन हज़ार आठ सौ बयालीस रुपये)
आरक्षित मूल्य : रु.7,50,000/– (सात लाख पचास हज़ार रुपये)
ईएमडीः रु.75,000/– (पचहत्तर हज़ार रुपये)
ऋण संः (ऋण सं. DL/MNR/MNGR/A000000723)
उधारकर्ता के नामः 1. श्री राकेश कुमार, 2. श्रीमती सम्पत्ति देवी
ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीखः 12–10–2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तारीख/समयः 13–10–2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशिः रु.10,000/–

5. प्राइवेट फ़्लैट नंबर 104, ऊपरी भूतल (सामने दाईं ओर), बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नंबर 25 और 26 में से, 50 वर्ग गज का क्षेत्र, खसरा नंबर 317 और 318 में से, गाँव नवादा माजरा हस्तसाल क्षेत्र में स्थित, कॉलोनी जिसे सिधात्री एन्क्लेव उत्तम नगर के नाम से जाना जाता है, दिल्ली, 110059 । सीमाएँः पूर्व – दूसरा प्लॉट, पश्चिम – सड़क, उत्तर – प्लॉट नंबर 24, दक्षिण – सड़क
बकाया राशिः 05–06–2025 तक 27,61,333/– रुपये (सत्ताइस लाख इकसठ हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये)
आरक्षित मूल्य : 16,00,000/– रुपये (सोलह लाख रुपये)
ईएमडी : रु. 1,60,000/– (एक लाख साठ हज़ार रुपये मात्र)
ऋण संः (ऋण सं. DL/JNK/JNKP/A000001010)
उधारकर्ता के नामः 1. श्री संजय मिर्धा, 2. श्री संजॉय मिर्धा
ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीखः 12–10–2026, शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तारीख/समयः 13–10–2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशिः रु.10,000/–

दिनांकः 27.09.2026 स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी–कते हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
शाखा कार्यालय : एफ-8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201019
ई-मेल : auction@hindujahousingfinance.com

जेडआरएम - पवन कुमार यादव - 9711992427 ● आरएलएम - अरुण मोहन शर्मा - 8800898999
आरआरएम - सुबोध दीक्षित - 9958899571 ● एसीएम - सुशांत तलवार - 8882667796

परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें] अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 में और एक शाखा कार्यालय : एफ-8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201019 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर **'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है'** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	: 24.10.2026, 14:00 बजे - 17:00 बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	: 26.10.2026, 17:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समय	: 27.10.2026, 11:00 बजे - 13:00 बजे
बोली वृद्धि राशि	: रु. 10,000/-

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि / तिथि तक कुल बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी
1.	**ऋण खाता संख्या DL/DLS/DLSD/A000001584, श्री सत प्रकाश, श्रीमती धनवंती धनवंती**, गली 1 मकान नं. 1 कड़कड़डूमा, पूर्वी दिल्ली, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत - 110092	15-04-2026 तथा रु. 20,47,235/- तिथि 17.03.2026 तक / रु. 21,79,975/- तिथि 25-09-2026	17-09-2026 भौतिक कब्जा	रु. 27,00,000/- / रु. 2,70,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः पूजा अपार्टमेंट-1 में तीसरी मंज़िल पर स्थित आवासीय फ़्लैट नंबर 12 (सामने की तरफ, दाहिनी ओर), जिसका एरिया 665 वर्ग फीट (यानी 73.88 वर्ग गज या 61.77 वर्ग मीटर) है। यह खसरा नंबर 953 मिन का हिस्सा है और कृष्णा विहार कॉलोनी, शाहपुर बम्हेटा गाँव (राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल के पास, परगना दसना, तहसील और ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः फ़्लैट नंबर 11, दक्षिणः 20 फीट चौड़ा रास्ता (ग्राउंड फ़्लोर पर), पूर्वः फ़्लैट नंबर 13, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा रास्ता (ग्राउंड फ़्लोर पर)।			

भुगतान का तरीकाः- भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में गाजियाबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तेंः - 1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल auction@hindujahousingfinance.com और https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 68 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003, (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेलः delhi@c1india.com, सहायता मोबाइल नंबरः- 7291981124/1125/1126) से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ तथा auction@hindujahousingfinance.com पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://www.bankeauctions.com/ तथा auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके कार्यालय हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ -8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर -4, वैशाली, गाजियाबाद के शाखा कार्यालय में - 201019 में जमा करना चाहिए। 10. सीलबंद लिफाफे पर 'ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में' लिखा होना चाहिए। ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 12. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 13. ई-नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता घोषित होने के लिए अपने मेल आईडी brajesh.gupta@hindujahousingfinance.com पर प्राधिकृत अधिकारी और सेवा प्रदाता दोनों को ई-मेल द्वारा अपने द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करनी होगी। 14. सफल बोलीदाता को बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई धरोहर राशि, यदि कोई हो, शामिल है। खरीद मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देय होगी। 15. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 20. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 24. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री बृजेश गुप्ता, मोबाइल नं. 8881189541 से शाखा कार्यालय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ -8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर -4, वैशाली, गाजियाबाद के शाखा कार्यालय में - 201019 पर संपर्क करें। 25. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिनों का नोटिस भी है।

दिनांकः 27.09.2026, स्थान : गाजियाबाद — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
शाखा कार्यालयः द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नंबर-टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010. ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

जेडआरएम - उमेश सिंह चौहान - 9838202386 • आरआरएम - पुष्कर अवस्थी - 9453043399
आरएलएम - ब्रजेश अवस्थी - 9918301885

परिशिष्ट- IV-ए [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें] ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV अ) [नियम 8(6)]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

जनसामान्य एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 में है और इसका एक शाखा कार्यालयः द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नंबर-टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com तथा auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	: 26.10.2026, 11:00 बजे से 14:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	: 27.10.2026, 17:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समय	: 28.10.2026, 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि / तिथि तक कुल बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	UP/LKW/LKNW/A000002342. 1. श्री अमित कुमार सिंह पुत्र रमेश सिंह, निवासी प्लॉट नंबर 3 लालबाग वार्ड हैदर गंज लखनऊ उ.प्र.-227107। इसके अलावा पता- मकान नंबर-129 जरौआखास भाग 2, संडीला जरौवा हरदोई उ.प्र.-241304. 2. श्रीमती अर्जिता सिंह पत्नी अमित कुमार सिंह, निवासी प्लॉट नंबर 3 लालबाग वार्ड हैदर गंज लखनऊ उ.प्र.-227107 इसके अलावा पता-600/175/34 रिंग रोड फरीदीपुर दुबग्गा काकोरी लखनऊ उ.प्र.-227107	6/फर./2026 तथा रु. 17,42,416/- / रु. 17,42,416/- तिथि 4/फर./2026	16-अप्रैल-2026 भौतिक कब्जा	रु. 30,26,000/- / रु. 3,02,600/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 17 (खसरा नंबर 1732 का हिस्सा), जो गाँव/मोहल्ला- जेहता लालजी टंडन, लखनऊ में स्थित है। क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट। दिशा और सीमाएँः पूर्वः अन्य जमीन (अराजी दीगर), पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट नंबर 16, दक्षिणः प्लॉट नंबर 18			
2.	UP/LKN/LUKN/A000001543. श्री संतोष कुमार दिनकर पुत्र सोहन लाल दिनकर (कर्जदार), श्रीमती विमला दिनकर पत्नी संतोष कुमार दिनकर (सह-कर्जदार) निवासी- 6, 7 द्वितीय श्रेणी रेस कोर्स, दिलकुशा लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत - 226002।	30/05/2026 तथा रु. 938878/- / रु. 938878/- तिथि 28/05/2026	01-09-2026 भौतिक कब्जा	रु. 2906000/- / रु. 290600/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर ए-4 (खसरा नंबर 473 का हिस्सा), जो गाँव मलौली, परगना और तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ में स्थित है। क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट। दिशा और सीमाएँः पूर्वः प्लॉट नंबर बी-3, पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट नंबर ई-5, दक्षिणः प्लॉट नंबर ई-3.			
3.	UP/GKP/GORA/A000000562. श्री लालमुहम्मद लालमुहम्मद पुत्र शौकत (कर्जदार) श्रीमती नरगीश नरगीश पत्नी लालमुहम्मद (सह-कर्जदार)। निवासी- इंदरपुर कैप्टनगंज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत - 274301	06/06/2025 तथा रु. 3,63,181/- / रु. 3,63,181/- तिथि 05/06/2025	29-10-2025 भौतिक कब्जा	रु. 2639000/- / रु. 263900/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः अराजी/प्लॉट नंबर 144, जो मौजा-इंदरपुर, टप्पा-परवरपार, परगना हवेली, तहसील कप्तानगंज, ज़िला कुशीनगर में स्थित है (सब-रजिस्ट्री एसआरओ-कप्तानगंज, ज़िला कुशीनगर)। क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर। दिशा और सीमाएँः पूर्वः कलिंदी देवी की जमीन, पश्चिमः चक मार्ग (9 मीटर से कम चौड़ा), उत्तरः कुलसुम की जमीन, दक्षिणः श्रवण की जमीन।			
4.	UP/LKN/LUKN/A000001125. 1. श्री रवि कश्यप पुत्र घनश्याम कश्यप (कर्जदार), 2. श्रीमती मूर्ति देवी (सह-कर्जदार), 3. श्री नितिन कश्यप (सह-कर्जदार) निवासी-535/115 फतेहपुर अलीगंज शहरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत - 226021 (सह-कर्जदार)	28/12/2024 तथा रु. 8,87,372/- / रु. 8,87,372/- तिथि 21/08/2024	19-11-2024 सांकेतिक कब्जा	रु. 28,35,000/- / रु. 2,83,500/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 17 का हिस्सा (खसरा नंबर 51 का हिस्सा), रसूलपुर कायस्थ, महोना, बीकेटी, लखनऊ, सब-रजिस्ट्रार बीकेटी लखनऊ। क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट। दिशा और सीमाएँः पूर्वः 22 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट नंबर 30, उत्तरः 18 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट नंबर 17 का हिस्सा।			
5.	UP/GKP/GORA/A000000162. 1. श्री रोहित शर्मा पुत्र हरि राम शर्मा (कर्जदार) 2. श्रीमती नीलम देवी पत्नी हरि राम शर्मा (सह-कर्जदार) निवासी- खुटहना खजनी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 273212	06/06/2025 तथा रु. 6,82,696/- / रु. 6,82,696/- तिथि 05/06/2025	25-06-2025 भौतिक कब्जा	रु. 2734000/- / रु. 273400/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः खाता नंबर 192/ फसली 1428-1433, आराजी नंबर 309 टक मौजा खुताहना, तप्पा-हवेली, परगना उनवल, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर। क्षेत्रफल 1743 वर्ग फुट। दिशा और सीमाएँः पूर्वः गुप्ता जी का खेत, पश्चिमः 15 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तरः कन्हैया प्रजापति की जमीन, दक्षिणः विक्रेता का प्लॉट।			
6.	UP/LKN/LUKN/A000002265. 1. श्री मोहम्मद फहद पुत्र मोहम्मद उस्मान, 2. श्रीमती कायनात पत्नी मोहम्मद फहद, निवासी 544/1561, समनान गार्डन कैंपबेल रोड गली नंबर 5 लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत-226003	2/अप्रैल/2026 तथा रु.19,57,653/- / रु. 19,57,653/- तिथि 17/मार्च/2026	14-07-2025 भौतिक कब्जा	रु. 43,95,000/- / रु. 4,39,500/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 41 और 42, खसरा नंबर 479 वाली संपत्ति; गाँव मो. नगर रहमत नगर, परगना और तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ; सब-रजिस्ट्रार और जिला मलिहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226102. क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट। दिशा और सीमाएँः पूर्वः प्लॉट नंबर 40, पश्चिमः प्लॉट नंबर 43, उत्तरः 20 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट नंबर 17 और 18			

भुगतान की विधि :- सभी भुगतान, 'हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: -1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर- 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा -122003, (सहायता लाइन नंबरः +91-124-4302000), ईमेलः Support@bankeauctions.com, मोबाइल नंबरः 7291981124/1125/1126), श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल नंबरः 7080804466 ईमेलः Mithalesh.kumar@c1india.com, delhi@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं। ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com तथा पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 7. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। 8. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके क्षेत्रीय कार्यालय संख्याः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - दूसरी मंजिल, 212बी और 212सी, प्लॉट संख्या-टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010 में जमा करना होगा। सीलबंद लिफाफे पर "ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में संपत्ति (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) के लिए" लिखा होना चाहिए। 9. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 10. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 11. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 12. ई-नीलामी कार्यवाही के समापन के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को अपने द्वारा लगाई गई अंतिम बोली राशि की पुष्टि ई-मेल के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय संख्याः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - दूसरी मंजिल, 212बी और 212सी, प्लॉट संख्याः टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010 और सेवा प्रदाता दोनों को करनी होगी, ताकि उन्हें ई-नीलामी में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके। 13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बोली लगाए जाने वाले दिन ही जमा करना होगा एवं शेष 75% बोली राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक के माध्यम से हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में करना होगा। 14. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 15. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 16. सफल बोलीदाता को विक्रय मूल्य का 1% टीडीएस (विक्रय राशि में से) के रूप में भुगतान करना होगा और टीडीएस प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी को जमा करना होगा। इसके बाद, अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के 15 कार्यदिवसों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, विक्रय मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% कटौती के बाद) जमा करनी होगी, और ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। 17. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 18. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 19. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 20. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 21. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 22. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 23. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com पर संपर्क करें। 24. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिनों का नोटिस भी है।

दिनांकः 27.09.2026, स्थानः लखनऊ — **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।